

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042020-219002
CG-DL-E-03042020-219002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1105]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 2020/चैत्र 14, 1942
No. 1105]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 2020/CHAITRA 14, 1942

गृह मंत्रालय

(जम्मू-कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2020

का.आ. 1245(अ).—केंद्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) दूसरा आदेश, 2020 है।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. इस आदेश के निर्वचन के लिए साधारण खंड अधिनियम, 1897 वैसे ही लागू होगा, जैसे वह भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. तत्काल प्रभाव से इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम को, जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है, इस आदेश की अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा।

**1. जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम
(2010 का अधिनियम संख्यांक 16)**

धारा 3 क. – (i) उपधारा (1) में :-

(क) “स्तर-4 (25500) से अनधिक वेतनमान वाले” शब्दों का लोप किया जायेगा और “अधिवासी समझा जायेगा” के स्थान पर “अधिवासी होगा” रखा जायेगा; और

(ii) उपधारा (2) में :-

(क) “अधिवासी समझा जायेगा” के स्थान पर “अधिवासी होगा” रखें ; और

(ख) खंड (क) में, “सेवा की है” के स्थान पर “सेवा की होगी” रखें ।

धारा 5 क. – “स्तर-4 (25500) से अधिक के वेतन वाले किसी पद पर” के स्थान पर “किसी पद पर” रखें

धारा 8. – खंड (ii) के पहले जोड़ें :-

“(i) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का अधिवासी है”

[फा. सं. 11014/05/2014-के.1]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)

ORDER

New Delhi, the 3rd April, 2020

S.O. 1245(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Jammu and Kashmir, namely:—

1. (1) This Order may be called the Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Second Order, 2020.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of laws in force in the territory of India.

3. With immediate effect, the Act mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule to this Order.

1. THE JAMMU AND KASHMIR CIVIL SERVICES (DECENTRALIZATION AND RECRUITMENT) ACT

(Act No.XVI of 2010)

Section 3A. —

(i) In sub-section (1): —

(a) omit “deemed to be” and “carrying a pay scale of not more than Level-4 (25500)”; and

(ii) in sub-section (2) :-

(a) omit “deemed to be”; and

(b) in clause (a), for “have served” substitute “shall have served”

Section 5A. — for “a post carrying a pay scale of not more than Level-4 (25500)” substitute “any post”

Section 8. — before clause (ii), add:-

“(i) is a domicile of Union territory of Jammu and Kashmir”

[F. No. 11014/05/2014-KI]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.